# मानक समाचार

भारतीय मानक ब्यूरो का मासिक न्यूज़लैटर | 20वां संस्करण | नवंबर 2026

मानकः पथप्रदर्शकः
**भारतीय मानक ब्यूरो**
भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था

## विश्व मानक दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह में गुणवत्ता अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और उपभोक्ता सुरक्षा बने केंद्र बिंदु

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने नई दिल्ली में "बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण: एसडीजी 7 (स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा)" विषय के अंतर्गत विश्व मानक दिवस 2026 का आयोजन किया। **इस अवसर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया तथा उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे (भारतीय प्रशासनिक सेवा) उपस्थित रहीं।** इस कार्यक्रम में हॉलमार्क युक्त चांदी शोधन (रिफाइनरी) योजना, नए भारतीय मानकों, कृषि एवं विनिर्माण के लिए स्थिरता रोडमैप, डिजिटल मानक पाठक (बीटा संस्करण 2.0) तथा संस्थागत भागीदार नेटवर्क के विस्तार जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया। भारत के राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की 600 से अधिक तकनीकी समितियों में भागीदारी करता है। इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में भारत के रणनीतिक हितों के अनुरूप योगदान सुनिश्चित किया जाता है।




### सतत विनिर्माण के क्षेत्र में मानकीकरण के लिए रणनीतिक रोडमैप

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए सतत विनिर्माण का महत्व लगातार बढ़ रहा है। सतत विनिर्माण के क्षेत्र में मानकीकरण के लिए तैयार रणनीतिक रोडमैप का उद्देश्य ऐसे भारतीय मानकों की पहचान और प्राथमिकता तय करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करना है, जिनसे उद्योगों को एक समान और मापने योग्य तरीके से सतत विनिर्माण की कार्यप्रणालियां अपनाने में मदद मिल सके।



यह रोडमैप उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है, जहां मानकीकरण सतत विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें शामिल हैं:

- **सतत और कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां,** जैसे हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (परत-दर-परत निर्माण) और कार्बन प्रबंधन प्रणालियां।
- **संसाधनों का कुशल उपयोग और चक्रीय अर्थव्यवस्था,** जिसमें पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्निर्माण और औद्योगिक इकाइयों के बीच संसाधनों का साझा उपयोग शामिल है।
- **सतत उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण प्रणालियां,** जिनमें जीवन चक्र मूल्यांकन, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन, पूर्वानुमान आधारित रखरखाव और उत्पादों के उपयोग की अवधि समाप्त होने के बाद उनका उचित प्रबंधन शामिल है।
- **सतत व्यावसायिक मॉडल, नीतिगत समन्वय और क्षमता निर्माण,** जिनमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी पहलुओं को शामिल करना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी तथा विनिर्माण इकाइयों को वापस देश में लाने और निकटवर्ती देशों में आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने जैसी रणनीतियां शामिल हैं।
- **डिजिटलीकरण और ज्ञान प्रणालियां,** जो उत्पादों की जानकारी का पता लगाने, विभिन्न प्रणालियों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान और सतत विकास संबंधी रिपोर्ट तैयार करने में सहायक हैं।

इन प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर, पैनल ने भारतीय मानकों के निर्माण के लिए कुछ विशिष्ट विषयों की सिफारिश की है, जिन्हें अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## अन्य प्रमुख खबरें

**समाचारों में मानक** 02
IS 19967:2026 - विद्युत वाहन चार्जिंग प्रणाली के लिए केबल
IS 19952:2026 - लचीले प्लाईवुड के लिए मानक
**विकासाधीन मानक** 03
मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षात्मक जूते-चप्पलों से संबंधित भारतीय मानक
**फीचर लेख** 04-05
खेत से थाली तक: खाद्य श्रृंखला को सुरक्षित बनाने में भारतीय मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका
**अनुरूपता मूल्यांकन** 06
पशु आहार एवं पशु आहार सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026
**उद्योग एवं शिक्षा जगत से साझेदारी** 07
एनबीसीएस 2026 एवं एनईसी 2023 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
ऑडियो/वीडियो एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के मानकों पर संगोष्ठी
**मानक संवर्धन** 08
कश्मीर घाटी के पेंसिल स्लैट निर्माताओं के साथ एमएसएमई बैठक
भ्रष्टाचार-रोधी प्रबंधन प्रणाली से संबंधित भारतीय मानकों पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ संवाद



# समाचारों में मानक

## अधिसूचित गुणवत्ता मानक

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अपने गुणवत्ता मानकों के संग्रह का लगातार विस्तार और उनमें सुधार कर रहा है। वर्तमान में 23,924 भारतीय मानक लागू हैं, जो उत्पादों को अधिक सुरक्षित बनाने, उद्योगों को मजबूत करने और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अक्टूबर 2026 में 33 नए मानक और 35 संशोधित मानक प्रकाशित किए गए, जबकि 36 भारतीय मानकों में संशोधन किया गया। हाल ही में प्रकाशित कुछ नए भारतीय मानक इस प्रकार हैं -

### परिवहन इंजीनियरिंग

IS 19891 : 2026 साइकिल — विद्युत ऊर्जा सहायता प्राप्त साइकिल (ईपीएसी) भाग 1 पैडल-समर्थित साइकिल

### चिकित्सा उपकरण एवं अस्पताल नियोजन

IS 19956 : 2026 चिकित्सीय जूते - विशिष्टि

### उत्पादन एवं सामान्य इंजीनियरिंग

IS 17192 (भाग 6) : 2026 रोबोटिक्स - सेवा रोबोट के लिए निष्पादन मानदंड और संबंधित परीक्षण विधियाँ, भाग 6 निचले अंग पर पहने जाने वाले रोबोट

IS 19919 : 2026 शिशु की लंबाई और वज़न मापने का उपकरण - विशिष्टि

### वस्त्र (टेक्सटाइल)

वस्त्रादि - पीवीसी लेपित फाइबरग्लास कीट स्क्रीन - विशिष्टि

### सिविल इंजीनियरी

IS 19952 : 2026 लचीला प्लाईवुड - विशिष्टि

### आयुष

IS 19960 : 2026 पीडियाट्रिक पंचकर्म उपकरण भाग 1 द्रोणी

### रसायन

IS 19899 : 2026 थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग पेंट – विशिष्टि

## फोकस में मानक

**IS 19967 : 2026 - विद्युत वाहन चार्जिंग प्रणाली के लिए केबल**

भारतीय मानक IS 19967 : 2026 यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत वाहनों को चार्ज करने में उपयोग की जाने वाली केबल सुरक्षित, विश्वसनीय हों और चार्जिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले विद्युत एवं तापीय दबाव को सहन करने में सक्षम हों। यह मानक उपभोक्ताओं को संभावित विद्युत खतरों से बचाने, चार्जिंग केबलों की बेहतर गुणवत्ता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने तथा भारत में बढ़ते विद्युत वाहन परिवेश को ध्यान में रखते हुए केबल निर्माताओं के लिए एक समान आवश्यकताएं निर्धारित करने में सहायक है।

इस मानक के दायरे में विद्युत वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के लिए एक्सटूडेड इंसुलेशन और शीथ वाली लचीली केबल शामिल हैं, जिनकी निर्धारित वोल्टेज क्षमता 1,100 V ए.सी. या 1,500 V डी.सी. तक है। इसमें पहले सभी केबलों के लिए सामान्य बुनियादी आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। इसके बाद केबलों को **ए.सी. चार्जिंग मोड 1 से 3, तापीय प्रबंधन के बिना डी.सी. मोड 4 चार्जिंग और तापीय प्रबंधन के साथ डी.सी. मोड 4 चार्जिंग की अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।**

### आवश्यकताएं

इस मानक में उच्च विद्युत चालकता वाले लचीले तांबे के कंडक्टर, पावर, पायलट और कंट्रोल कोर, इंसुलेशन एवं शीथ के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, फिलर्स, कोर की असेंबली, वैकल्पिक स्क्रीन, सटीक माप, केबल कोडिंग और कोर की स्पष्ट पहचान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इससे चार्जिंग सेवा संचालकों और वाहन निर्माताओं को विभिन्न प्रणालियों के बीच अनुकूलता सुनिश्चित करने तथा स्थापना पर भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही, केबल निर्माताओं को एक समान डिजाइन, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलते हैं।

### परीक्षण

इस मानक में **नियमित परीक्षण, स्वीकृति परीक्षण और प्रकार परीक्षण की एक व्यापक व्यवस्था निर्धारित की गई है। इन परीक्षणों में विद्युत अखंडता, इंसुलेशन प्रतिरोध, स्पार्क एवं उच्च वोल्टेज परीक्षण, यांत्रिक एवं पर्यावरणीय प्रदर्शन, लचीलेपन, ज्वाला व्यवहार, धुएं के घनत्व और हैलोजन-अम्ल मूल्यांकन की जांच शामिल है।** टिकाऊ अंकन और व्यवस्थित नमूना चयन की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। इन सभी प्रावधानों से उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय चार्जिंग केबल सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

### अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस

| मानक/उत्पाद | लाइसेंसधारी |
|---|---|
| **आईएस 4552 : भाग 2 : 1993** मोटर वाहन – मोटर वाहनों के लिए चल जैक, भाग 2 : द्रवचालित जैक | एल्वेरा टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| **आईएस 19608 : 2026** तप्त बेल्लित कार्बन एवं मिश्रधातु इस्पात की प्लेटें, चादरें एवं पट्टियाँ | जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड |
| **आईएस 17908 : 2023** रेशा-सीमेंट की चादर - हल्के कंक्रीट के सैंडविच पैनल | विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
| **आईएस 3063 : 1994** बन्धक - एकल कुंडली वाले आयताकार अनुप्रस्थ काट के स्प्रिंग लॉक वॉशर | रवि इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड |

## क्रियान्वयन में मानक

**IS 19952: 2026 - लचीली प्लाईवुड - विशिष्टि**

लचीली प्लाईवुड लकड़ी से बना एक विशेष प्रकार का पैनल है, जिसे बिना टूटे या दरार पड़े आसानी से घुमावदार आकार देने के लिए तैयार किया जाता है। सामान्य सपाट प्लाईवुड से अलग, इसमें लकड़ी की पतली परतों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके रेशों की दिशा घुमावदार आकार देने के अनुकूल हो। यह मानक वास्तुकारों, डिजाइनरों, निर्माताओं और कारीगरों के लिए एक समान तकनीकी आधार प्रदान करता है। इससे विभिन्न घुमावदार संरचनाओं में पैनल की मजबूती और सतह की गुणवत्ता के अनुरूप सही सामग्री का चयन किया जा सकता है। साथ ही, इससे संरचनात्मक खराबियों, दोबारा काम करने की आवश्यकता और परियोजनाओं से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलती है।

लचीली प्लाईवुड का उपयोग उन सभी स्थानों पर किया जाता है, जहां लकड़ी से बने पैनल को बिना टूटे घुमावदार आकार देना आवश्यक होता है। इसका उपयोग फर्नीचर, आंतरिक दीवारों की पैनलिंग, विभाजक दीवारों, स्तंभों, छतों और सजावटी कार्यों में किया जाता है।



### आवश्यकताएं एवं परीक्षण

- **वर्गीकरण एवं श्रेणियां:** चिपकाने वाले पदार्थ की बंधन क्षमता के आधार पर प्लाईवुड को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – नमी प्रतिरोधी, उबलते पानी के प्रति प्रतिरोधी और उबलते पानी में भी टिकाऊ।
- **सतह एवं सामग्री:** सतह की गुणवत्ता के लिए टाइप A, B और C निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही सतह पर दिखाई देने वाली खामियों की स्वीकार्य सीमा भी तय की गई है।
- **विनिर्माण एवं कारीगरी:** इसमें कच्ची लकड़ी के चयन, चिपकाने वाले पदार्थों के मिश्रण, विनिर्माण प्रक्रियाओं, माप संबंधी सहनशीलता और किनारों की गुणवत्ता से जुड़ी आवश्यकताएं शामिल हैं।

### परीक्षण एवं मूल्यांकन

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस मानक में भौतिक और यांत्रिक परीक्षणों की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, ताकि उत्पाद निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

- **चिपकने की क्षमता एवं जल प्रतिरोध:** निर्धारित बंधन श्रेणियों के अनुसार गोंद की परत की कतरन क्षमता और जल प्रतिरोध की जांच।
- **उत्सर्जन:** फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा और उत्सर्जन दर की जांच।
- **लचीलापन:** निर्धारित व्यास वाले मानकीकृत मैंड्रेल की सहायता से मोड़ने का परीक्षण, ताकि न्यूनतम मोड़ त्रिज्या और संरचनात्मक मजबूती का आकलन किया जा सके।
- **अनुरूपता:** मानक के अनुरूप नमूने लेने, उत्पादों पर अंकन करने और प्रमाणन संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

उपभोक्ताओं के लिए, **IS 19952:2026** लचीले प्लाईवुड की विभिन्न श्रेणियों, सतह की गुणवत्ता, मोड़ने की क्षमता और फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा के लिए निर्धारित आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करता है। इससे उपभोक्ता सोच-समझकर खरीदारी करने और उपयुक्त उपयोग के लिए सही उत्पाद का चयन करने में सक्षम होते हैं। निर्माताओं, वास्तुकारों, डिजाइनरों और निर्माणकर्ताओं के लिए, ये मानकीकृत विनिर्देश सामग्री के चयन और उत्पाद के प्रदर्शन में एकरूपता को बढ़ावा देते हैं। इससे उत्पादों में त्रुटियों, दोबारा काम करने की आवश्यकता और सामग्री की बर्बादी को कम करने में सहायता मिलती है। यह मानक घुमावदार और गोलाकार सामान्य उपयोगों में प्रयुक्त होने वाले लचीले प्लाईवुड की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

# विकासधीन मानक

**फोकस में मीटिंग: जलीय जैव विविधता पर ईईडी 06 / पैनल 02 की 5वीं बैठक**

ईईडी 06 / पैनल 02 की 5वीं बैठक 9 अक्टूबर 2026 को ICAR-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि में आयोजित की गई।

### ईईडी 06/पैनल 02 के कार्यक्षेत्र

मीठे पानी और समुद्री जल, दोनों से संबंधित जलीय जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान और सूची तैयार करना, उनका संरक्षण, संवर्धन, टिकाऊ तरीके से दोहन तथा पुनर्स्थापन करना।

### महत्वपूर्ण निर्णय

मानकीकरण के लिए कुछ नए संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई और उन पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और भंडारण के लिए एकीकृत ढांचा तैयार करना, जैविक एवं पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के मानदंड तय करना तथा समुद्री पर्यावरण के आकलन के लिए संकेतक निर्धारित करना शामिल है।

- व्यावहारिक जानकारी और जमीनी स्तर पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से थोप्पुमपडी स्थित कोच्चि मत्स्य बंदरगाह का दौरा किया गया। इस दौरान मछुआरों और अन्य संबंधित स्रोतों से प्राथमिक जानकारी एकत्र की गई, ताकि इन व्यावहारिक अनुभवों और सुझावों के आधार पर भारतीय मानक के मसौदे को और बेहतर बनाया जा सके।
- समुद्री मछली की लैंडिंग और मछली पकड़ने के प्रयासों का आकलन – कार्यप्रणाली विषय पर भारतीय मानक के मसौदे को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान इसके प्रावधानों की समीक्षा की गई, व्यावहारिक पहलुओं को शामिल करने तथा इसमें और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर चर्चा की गई।

### कार्यशील मसौदा चरण में मानक

**समुद्री मछली की लैंडिंग और मछली पकड़ने के प्रयासों का आकलन – कार्यप्रणाली**

इस भारतीय मानक का मसौदा भारत के समुद्र तट पर समुद्री मछली की उतराई और मछली पकड़ने के प्रयासों का आकलन करने के लिए एक समान और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। इसमें मत्स्य पालन संबंधी आंकड़ों की सटीकता, एकरूपता और तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए नमूना चयन की रूपरेखा, आंकड़ों का संग्रह, आकलन, सत्यापन और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इस मानक से समुद्री मत्स्य संसाधनों का वैज्ञानिक आकलन करने, आंकड़ों पर आधारित मत्स्य प्रबंधन को मजबूत बनाने तथा भारत में समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।



# व्यापक परिचालनाधीन मसौदे

भारतीय मानक ब्यूरो नए, संशोधित और संशोधन सहित मानकों के व्यापक प्रसार हेतु जारी मसौदों पर टिप्पणियां आमंत्रित करके मानकीकरण की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

**व्यापक परिचालनाधीन मसौदे पर फोकस**



### मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षात्मक जूते

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण - भाग 9: मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षात्मक जूतों से संबंधित भारतीय मानक का प्रारूप [IS 15298 (भाग 9)] टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। इस प्रारूप में मोटरसाइकिल चालकों के जूतों के लिए आवश्यक भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और एर्गोनॉमिक आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं के दौरान पैर और टखने की त्वचा को यांत्रिक चोटों से बचाना है, साथ ही मोटरसाइकिल चालक की मोटरसाइकिल पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित होने से बचाना है। इसमें ऊपरी हिस्से की ऊंचाई, आघात एवं घर्षण प्रतिरोध, आघात एवं कटाव प्रतिरोध तथा अनुप्रस्थ दृढ़ता के लिए दो प्रदर्शन स्तर (स्तर 1 और स्तर 2) निर्धारित किए गए हैं। ये स्तर जोखिम या खतरे की गंभीरता पर आधारित हैं। प्रारूप में टखने को आघात से सुरक्षा, जूते के बाहरी तलवे की मजबूती, हानिकारक प्रभावों से मुक्त होने और उपयोग में आरामदायक होने से संबंधित आवश्यकताएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक सुरक्षात्मक विशेषताओं के रूप में पैर की उंगलियों की सुरक्षा, पानी के प्रवेश के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और पेट्रोल एवं तेल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। प्रारूप में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट परीक्षण विधियां, नमूनों की न्यूनतम संख्या और अंकन संबंधी आवश्यकताएं भी निर्धारित की गई हैं।

### बैंकिंग और संबंधित वित्तीय सेवाएं : उन्नत कूटलेखन मानक (एईएस) का उपयोग करके कुंजी आवरण

बैंकिंग और संबंधित वित्तीय सेवाएं : उन्नत कूटलेखन मानक (एईएस) का उपयोग करके कुंजी आवरण विषय पर भारतीय मानक के मसौदे **(IS/ISO 20038)** को टिप्पणियों के लिए साझा किया गया है। इस मसौदे में मौजूदा भारतीय मानक **IS/ISO 20038:2017** को नवीनतम अंतरराष्ट्रीय विनिर्देश **ISO 20038:2026** के अनुरूप संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसमें आंकड़ों के प्रेषण और भंडारण के दौरान कूटलेखन कुंजियों तथा उनसे संबंधित जानकारी की सुरक्षा के लिए एक अद्यतन विधि निर्धारित की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में कूटलेखन, प्रमाणीकरण और कुंजी निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर बनाना तथा कुंजी के अनुमत उपयोग से संबंधित जानकारी की सुरक्षा को मज़बूत करना शामिल है। इसके अलावा, इस मसौदे में विभिन्न प्रकार की कूटलेखन कुंजियों, जिनमें सममित कुंजियां तथा आरएसए और ईसीसी कुंजी युग्म शामिल हैं, के प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का भी विस्तार किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य कुंजियों की सुरक्षा को मजबूत करना, विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर अनुकूलता को बढ़ावा देना तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों में एकरूप सुरक्षा प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना है।

**भारतीय मानक ब्यूरो पेशेवरों, शोधकर्ताओं, उद्योगों और उपभोक्ताओं से मसौदा पोर्टल पर जाकर सक्रिय रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव देने का अनुरोध करता है।**

विभिन्न बीआईएस तकनीकी विभागों के व्यापक प्रसार हेतु जारी प्रारूपों को देखने के लिए स्कैन करें और संबंधित प्रारूप पर अपनी टिप्पणियां साझा करें।





# खेत से थाली तक: खाद्य श्रृंखला को सुरक्षित बनाने में भारतीय मानकों की अहम भूमिका

खाद्य और कृषि विभाग को भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत संपूर्ण खाद्य और पशु आहार आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य और कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

> **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)/विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार :** "खाद्य पदार्थों को जोखिम से पूरी तरह मुक्त रखना एक ऐसा लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करना संभव नहीं है। सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का संबंध जोखिम के उस स्तर से है, जिसे समाज उस परिस्थिति में और दैनिक जीवन के अन्य जोखिमों की तुलना में उचित मानता है।"

खाद्य सुरक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि भोजन को उसके निर्धारित उपयोग के अनुसार तैयार करने और खाने पर उससे उपभोक्ता को कोई हानि न हो। हालांकि, यह जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी खाद्य सुरक्षा और कुपोषण जैसे स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं के बीच अंतर करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा का मुख्य ध्यान भोजन के सेवन के समय खाद्य जनित खतरों की रोकथाम और उन्हें कम करने पर केंद्रित होता है। चूंकि भोजन में खतरा किसी भी चरण में, खेत से लेकर भोजन की थाली तक, उत्पन्न हो सकता है, इसलिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संगठन के संयुक्त एवं समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

### वैश्विक स्वास्थ्य की स्थिति : तथ्य और आंकड़े

- **बीमारियों का बोझ:** दुनिया भर में हर साल दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन खाने के कारण बीमार पड़ता है। यह स्वच्छता की कमी से उत्पन्न होने वाले निरंतर खतरे को दर्शाता है।
- **असुरक्षित आबादी:** पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे वैश्विक आबादी का केवल 9 प्रतिशत हैं, फिर भी खाद्य जनित बीमारियों के कुल बोझ का 40 प्रतिशत इन्हीं पर पड़ता है।
- **रोगजनकों की विविधता:** जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों या भारी धातुओं से दूषित भोजन के सेवन से सीधे तौर पर 200 से अधिक प्रकार की बीमारियां होती हैं।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध:** अनुमान के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों से होने वाले संक्रमण के कारण होती है।

इसका एक कारण वैश्विक पशु आहार और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेषों पर उचित नियंत्रण का अभाव भी है।

### वैश्विक खाद्य आपूर्ति में आधुनिक चुनौतियां

पिछले कुछ वर्षों में खाद्य उत्पादन के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। इसके कारण खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ऐसी जटिल चिंताएं सामने आई हैं, जो कुछ दशक पहले मौजूद नहीं थीं।

### वैश्विक खाद्य व्यापार में तेजी से बदलाव

जैसे-जैसे व्यवसाय अधिक नवाचारपूर्ण और प्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं लंबी होती जा रही हैं। अब यह आम बात हो गई है कि भोजन का उत्पादन एक देश में किया जाता है, उसका प्रसंस्करण दूसरे देश में होता है और तीसरे देश में उसका विपणन किया जाता है। इस व्यापक रूप से वितरित व्यवस्था से सीमाओं के पार रासायनिक और सूक्ष्मजीवी खतरों का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

### विश्व की बढ़ती जनसंख्या का दबाव

- कीट नियंत्रण के लिए रसायन, उर्वरक और पशु चिकित्सा संबंधी औषधियां।
- कृत्रिम खाद्य योजक और प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले सहायक पदार्थ।

### स्वास्थ्य संबंधी खतरों के तीन प्रमुख प्रकार

खाद्य सुरक्षा से जुड़े खतरों को सामान्यतः तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। इन खतरों का विवरण यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों में जोखिम मौजूद हैं।

| खतरे का प्रकार | सामान्य स्त्रोत और उदाहरण |
|---|---|
| **जैविक खतरे** | **सूक्ष्मजीवी खतरे:** कवक, जीवाणु, विषाणु और रोगजनक।<br>**बड़े जैविक जीवों से उत्पन्न खतरे:** आंतरिक या बाहरी कीट एवं परजीवी। |
| **रासायनिक खतरे** | सफाई में उपयोग होने वाले रसायन, कीटनाशकों के अवशेष, भारी धातुएं, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ, पशु चिकित्सा औषधियों के अवशेष, एंटीबायोटिक के अवशेष, कवक विष (जैसे पैटुलिन और एर्गोटिन), रासायनिक योजक, प्लास्टिसाइजर तथा प्लास्टिक पैकेजिंग से खाद्य पदार्थों में पहुंचने वाले रासायनिक पदार्थ। |
| **भौतिक खतरे** | गंदगी, मक्खियां, कीट-पतंगे, दिखाई देने वाले बाहरी पदार्थ तथा दूषित पानी या हवा के माध्यम से आने वाले संदूषक। |

### खाद्य सुरक्षा मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका – भारतीय और अंतरराष्ट्रीय

खाद्य सुरक्षा मानक वैश्विक व्यापार और स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की खपत के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। ये मानक उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बाजार में विश्वास बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यक गुणवत्ता और शर्तें निर्धारित करते हैं।

ये खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं तक अपनी आवश्यकताएं पहुंचाने के लिए एक समान भाषा प्रदान करते हैं तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था तैयार करते हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों में विभिन्न पहलू शामिल हैं :

- एकसमान नामकरण : गलतफहमी से बचने के लिए विभिन्न देशों में मानकीकृत शब्दावली का उपयोग।
- अच्छी कार्यप्रणालियों की संहिता : स्वच्छ कृषि, विनिर्माण और खाद्य पदार्थों के रखरखाव के लिए व्यवस्थित दिशा-निर्देश।
- परीक्षण और निरीक्षण : खाद्य पदार्थों के बाजार में पहुंचने से पहले मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए मानकीकृत परीक्षण विधियां, नमूना लेने के नियम और निरीक्षण प्रक्रियाएं।

घरेलू आवश्यकताओं और परिस्थितियों को **आईएसओ तथा कोडेक्स एलिमेंटेरियस** जैसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ जोड़कर, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार किए गए भारतीय मानक उपभोक्ताओं को पर्यावरणीय, जैविक और रासायनिक खतरों से बचाते हैं। साथ ही, ये सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य आपूर्ति सुरक्षित और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनी रहे। इन मानकों में बड़े औद्योगिक खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं से लेकर सड़क किनारे खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं तक, सभी व्यवसायों के लिए आवश्यकताएं और दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं, ताकि खाद्य सुरक्षा से जुड़े खतरों की रोकथाम की जा सके, उन पर नजर रखी जा सके और उन्हें पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

**महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा मानक**

| क्र. सं. | भारतीय मानक | संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक | मुख्य उद्देश्य / कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | IS 2491:2024 खाद्य स्वच्छता – सामान्य सिद्धांत | कोडेक्स CXC 1-1969 (संशोधित 2020) खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांत | संपूर्ण खाद्य श्रृंखला (प्राथमिक उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक) में लागू होने वाले खाद्य स्वच्छता के आवश्यक सिद्धांतों की पहचान करना। |
| 2. | IS 15000:2024 खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) | कोडेक्स CXC 1-1969 (संशोधित 2020) खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांत | खाद्य श्रृंखला से जुड़े किसी भी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सक्रिय प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यकताएं निर्धारित करना। |
| 3. | IS/ISO 22000:2018 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली | ISO 22000:2018 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन | प्रणालीसंगठनों के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करना, ताकि वे खतरों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकें। |
| 4. | IS 16020: 2012 | राष्ट्रीय आधारभूत रूपरेखा | अच्छी स्वच्छता कार्यप्रणालियों के लिए विशिष्ट संचालन संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करना। |
| 5. | IS 16021: 2012 | राष्ट्रीय क्षेत्रीय रूपरेखा | खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उपयुक्त अच्छी विनिर्माण कार्यप्रणालियों संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण देना। |

## IS 2491:2024 (खाद्य स्वच्छता – सामान्य सिद्धांत – आचार संहिता)

IS 2491 को पूरी तरह समझने के लिए इसे संपूर्ण भारतीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के आधारभूत स्तंभ के रूप में देखना उपयोगी है। इसका कार्यक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कोडेक्स एलिमेंटेरियस मानक (CXC 1-1969, 2020 में संशोधित) के समान है। उत्पादन के बिल्कुल अंतिम चरण में खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के बजाय, IS 2491 का ध्यान भोजन के पूरे जीवन चक्र में स्वच्छ और नियंत्रित वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है। इस मानक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है :

- (a) प्राथमिक उत्पादन (स्रोत)
- (b) प्रतिष्ठान का अभिकल्प और सुविधाएं
- (c) संचालन पर नियंत्रण
- (d) रखरखाव और स्वच्छता
- (e) व्यक्तिगत स्वच्छता
- (f) परिवहन
- (g) उत्पाद संबंधी जानकारी और उपभोक्ता जागरूकता
- (h) कार्यकुशलता और प्रशिक्षण

**IS 2491** का अनुपालन आधारभूत नींव के रूप में कार्य करता है। IS 2491 में निर्धारित सामान्य स्वच्छता सिद्धांतों को पूरा किए बिना **एचएसीसीपी (IS 15000)** योजना को सफलतापूर्वक लागू करना या IS/ISO 22000 के लिए पात्र होना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये सिद्धांत मूलभूत पूर्वापेक्षित कार्यक्रमों के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी प्रतिष्ठान में पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखते हैं, ताकि वहां जटिल खतरों की निगरानी की जा सके।

## एचएसीसीपी प्रणाली (IS 15000) : खतरों की सक्रिय रोकथाम

खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) प्रणाली खाद्य उद्योग को उत्पादन के बाद परीक्षण करने की **प्रतिक्रियात्मक नीति से हटाकर पहले से ही सुरक्षा सुनिश्चित** करने की सक्रिय प्रणाली की ओर ले जाती है। एचएसीसीपी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लागू होती है और भौतिक, रासायनिक तथा जैविक खतरों पर ध्यान केंद्रित करती है।

## एचएसीसीपी प्रणाली के प्रमुख कार्यान्वयन में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उत्पादों का विस्तृत विवरण तैयार करना और लक्षित उपभोक्ताओं की पहचान की पुष्टि करना।
- संचालन संबंधी स्पष्ट सत्यापन तंत्र तैयार करना।
- महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं का निर्धारण करना, जहां खतरों को रोकना या समाप्त करना आवश्यक हो।
- पूरी जानकारी का पता लगाने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज और अभिलेख रखना।

**व्यापक प्रणाली नियंत्रण : IS/ISO 22000**

**IS/ISO 22000** एक व्यापक प्रबंधन प्रणाली संबंधी मानक के रूप में कार्य करता है। यह एचएसीसीपी प्रणाली की संचालन संबंधी कार्यप्रणाली को आवश्यकतानुसार तैयार किए गए पूर्वापेक्षित कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करता है। इस मानक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- किसी संगठन की खाद्य सुरक्षा संबंधी खतरों को लगातार नियंत्रित करने की क्षमता साबित करना।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा लागू वैधानिक और नियामक मानदंडों को पूरा करना।
- ऐसी व्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना, जिनके द्वारा प्रणाली को लगातार अद्यतन और बेहतर बनाया जाता है।

**खाद्य सुरक्षा – एक साझा जिम्मेदारी**

खेत से लेकर रसोई की मेज तक, खाद्य श्रृंखला के किसी भी चरण में खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल किसी एक संस्था की नहीं हो सकती। इसके लिए इस पूरी व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संगठन के संयुक्त एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा की एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो वैश्विक रूपरेखाओं के अनुरूप अनेक खाद्य सुरक्षा मानक बनाए रखता है। खाद्य वैज्ञानिकों, गुणवत्ता प्रबंधकों और खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षकों का मानना है कि व्यापक मानकीकरण से कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने में लाभ मिलता है। **IS/ISO 22000** या **IS 15000 (HACCP)** जैसे खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने से संगठन प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हटकर सक्रिय कार्यप्रणाली अपनाते हैं। इससे खाद्य पदार्थों के किसी एक खेप के दूषित होने की संभावना कम होती है, अपव्यय घटता है और लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुरक्षित रूप से अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा मानक बाजार में विश्वास, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक निष्पक्षता का आधार स्थापित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं।

**सुनीति टोटेजा**
**वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख, खाद्य एवं कृषि विभाग**
भारतीय मानक ब्यूरो



# अनुरूपता मूल्यांकन

## पशु आहार और आहार सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026

पशु आहार क्षेत्र में सुरक्षा, गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग)** ने 7 अक्टूबर 2026 को पशु आहार एवं पशु आहार सामग्री के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है।

| भारतीय मानक | इसके अंतर्गत आने वाले उत्पाद |
|---|---|
| **IS 1664** पशु आहार में पूरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खनिज मिश्रण–विशिष्टि | पशु आहार में पूरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खनिज मिश्रण |
| **IS 5470** डाइकैल्शियम फॉस्फेट, पशु आहार ग्रेड – विशिष्टि | डाइकैल्शियम फॉस्फेट, पशु आहार ग्रेड |
| **IS 920** पशुओं के उपभोग के लिए साधारण नमक और चाटने वाले नमक के टुकड़े – विशिष्टि | पशुओं के उपभोग के लिए साधारण नमक और चाटने वाले नमक के टुकड़े |




यह आदेश सामान्य उद्यमों के लिए **1 अप्रैल 2027,** सूक्ष्म उद्यमों के लिए **1 अक्टूबर 2027** और लघु उद्यमों के लिए **1 जुलाई 2027** से प्रभावी होगा।

## प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए अच्छी कार्यप्रणालियों की हैंडबुक

भारतीय मानक ब्यूरो ने विश्व मानक दिवस 2026 के अवसर पर "प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए अच्छी कार्यप्रणालियों की हैंडबुक" नामक हैंडबुक का विमोचन किया। इस पुस्तिका का उद्देश्य प्रयोगशाला में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और रासायनिक, रेडियोरासायनिक तथा सूक्ष्मजीवविज्ञान संबंधी प्रयोगशालाओं में सुरक्षित कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।




इस हैंडबुक में रासायनिक, रेडियोरासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञान संबंधी प्रयोगशालाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ सुरक्षा रंगों, संकेतों और खतरों से संबंधित जानकारी देने के दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला गया है।

यह संबंधित भारतीय मानकों, विशेष रूप से **IS 4209:2013, IS 4906:2017, IS 12035:1986, IS 9457:2025 और IS 17889:2022** के प्रावधानों पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्रयोगशाला संचालन से जुड़े प्रयोगशाला कर्मियों, पर्यवेक्षकों और संगठनों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

इस हैंडबुक का मुख्य उद्देश्य **प्रयोगशाला के कर्मचारियों के लिए एक संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करना है,** जिससे उन्हें संभावित खतरों की पहचान करने, उचित निवारक उपाय अपनाने और प्रयोगशालाओं में सुरक्षा की मजबूत संस्कृति विकसित करने में सहायता मिल सके। इससे अच्छी प्रयोगशाला कार्यप्रणालियों और संबंधित भारतीय मानकों को लागू करके प्रयोगशालाओं में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने, कर्मचारियों की सुरक्षा करने और अधिक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

## नकली आईएसआई चिह्न, मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले उत्पादों और आभूषणों के खिलाफ न्यायालयों की सख्त कार्रवाई

महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा के न्यायालयों ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन मामलों में मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली औद्योगिक सामग्री, नकली आईएसआई चिह्न और बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण शामिल थे। महाराष्ट्र के भिवंडी में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक आयातक कंपनी और उसके 16 निदेशकों एवं अधिकारियों पर कुल **34 लाख रुपये** का जुर्माना लगाया। यह मामला **1.2 मिमी फ्लक्स-कोर वेल्डिंग तार के 17,703 बक्सों** से जुड़ा था, जिन्हें फरवरी 2022 में वैध बीआईएस मानक चिह्न और लाइसेंस के बिना बिक्री के लिए रखे जाने के कारण जब्त किया गया था। प्रत्येक आरोपी पर **2 लाख रुपये** का जुर्माना लगाया गया और जब्त सामग्री को नष्ट करने का आदेश दिया गया। एक अन्य मामले में, केरल के त्रिशूर में, अदालत ने **"DEMAC"** ब्रांड के खोखले संरचनात्मक इस्पात खंडों के 162 मीट्रिक टन को जब्त करने का आदेश दिया। कंपनी, **मेसर्स न्यू मलयालम स्टील प्राइवेट लिमिटेड** और दो व्यक्तियों पर वैध लाइसेंस के बिना बीआईएस मानक चिह्न (आईएस 4923) प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पर **2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। भिवंडी में**, पैकेज्ड पेयजल की एक आपूर्तिकर्ता कंपनी पर अनधिकृत आईएसआई चिह्न छापने के लिए **2 लाख रुपये** का जुर्माना लगाया गया। **भुवनेश्वर** में, मेसर्स हिंदुस्तान ज्वैलर्स ने बिना हॉलमार्क वाले **138.80 ग्राम सोने के आभूषण** जब्त किए जाने के बाद **3 लाख रुपये** का जुर्माना भरा।

**बीआईएस ने कारोबारियों से लागू आवश्यकताओं का पालन करने और उपभोक्ताओं से बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से गुणवत्ता चिह्नों की जांच करने का आग्रह किया है।**

## बीआईएस अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर बीआईएस की प्रवर्तन कार्रवाई

बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय ने 22 अक्टूबर 2026 को चेन्नई के वेलाचेरी स्थित मोबाइल हार्डवेयर की एक दुकान, मेसर्स ए1-कॉम्बो किंग में तलाशी और जब्ती की प्रवर्तन कार्रवाई की। बीआईएस अधिकारियों ने दुकान से बीआईएस मानक चिह्न लगे 300 लिथियम-पॉलिमर और लिथियम-आयन बैटरियां पाईं, जिन पर अंकित पंजीकरण संख्याएं या तो अमान्य थीं या उन ब्रांडों के लिए अधिकृत नहीं थीं, जिनके नाम से इन उत्पादों का विपणन किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि इन उत्पादों पर अंकित पंजीकरण संख्याएं अन्य ब्रांडों से संबंधित थीं। यह बीआईएस मानक चिह्न (पंजीकरण) के दुरुपयोग का मामला था। **बीआईएस बेंगलुरु शाखा कार्यालय** ने 27 अक्टूबर 2026 को बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत मेसर्स कैविटैक ग्लोबल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (ग्रिपिट), बेंगलुरु में छापेमारी की। इस दौरान लगभग 13,000 एयर फ्रायर और पोर्टेबल ब्लेंडर मिले, जिनका कुल मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये था। इन उत्पादों पर आईएसआई मार्क नहीं था, जो विद्युत रसोई उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 का उल्लंघन है।




उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की जा रही है।

## नोट के प्रमाणीकरण और उपयुक्तता के आधार पर छंटाई के मापदंडों संबंधी दिशा-निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2 अक्टूबर 2026 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और 56 के तहत नोट छंटाई मशीनों (NSMs) से संबंधित निर्देशों को एक साथ शामिल करते हुए संशोधित मास्टर निदेश जारी किया। इन प्रावधानों के तहत नोटों की वास्तविकता और उनकी भौतिक स्थिति की व्यवस्थित रूप से जांच करना आवश्यक है। जिन नोटों पर अत्यधिक गंदगी हो, जो ढीले पड़ गए हों, फटे हों, उनमें छेद या दाग हों, उन पर जानबूझकर कुछ लिखा गया हो या चिपकाने के लिए टेप आदि का उपयोग किया गया हो, उन्हें पुनः चलन में लाने के लिए अनुपयुक्त श्रेणी में रखा जाना चाहिए। नोट छंटाई मशीनों में संदिग्ध जाली नोटों और चलन से बाहर की जा चुकी नोटों की श्रृंखलाओं की पहचान करने तथा उन्हें अलग करने की भी विश्वसनीय व्यवस्था होनी चाहिए।

**वित्तीय संस्थानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणित तथा IS 18663 : 2024 (नोट छंटाई मशीनें – विनिर्देश) के अनुरूप नोट छंटाई मशीनें** खरीदना अनिवार्य है। मशीनों की कार्यक्षमता और सटीकता बनाए रखने के लिए बैंकों को उपयोग में लगाई गई मशीनों का प्रत्येक तीन महीने में अनिवार्य रूप से परीक्षण और अंशांकन (कैलिब्रेशन) कराना होगा तथा इस संबंध में विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाण-पत्रों का रिकॉर्ड रखना होगा। पहले बंद किए जा चुके मॉडल की जो मशीनें अभी भी उपयोग में हैं, उन्हें 30 जून 2027 तक पूरी तरह उपयोग से हटाना होगा।

# उद्योग एवं शिक्षा जगत से साझेदारी

## डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर रूस में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

श्रीमती निधि खरे, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग; श्रीमती रीना गर्ग, उप महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो; और श्री प्रशांत दुबे, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 8-9 अक्टूबर 2026 को रूस के मॉस्को में आयोजित **डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।** इस सम्मेलन में 23 देशों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।



श्रीमती खरे ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भारत की पहलों की जानकारी साझा की। 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई): चुनौतियां और अवसर' विषय पर आयोजित परिचर्चा में श्रीमती रीना गर्ग ने एआई और उपभोक्ता संरक्षण पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जबकि श्री प्रशांत दुबे ने शिकायतों के निवारण में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की भूमिका पर प्रकाश डाला।

## बीआईएस डिजिटल मानक रीडर (बीटा संस्करण 2.0) का शुभारंभ

बीआईएस डिजिटल स्टैंडर्ड रीडर एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो XML प्रारूप में उपलब्ध बीआईएस मानकों तक व्यवस्थित, खोजने योग्य और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करता है। यह XML-आधारित भारतीय मानकों को स्मार्ट मानकों (SMART Standards) में बदलता है, जिससे उन्हें डिजिटल माध्यम से आसानी से और संवादात्मक तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता मानकों के विभिन्न खंडों और उपखंडों को देख सकते हैं, तकनीकी विषय-वस्तु खोज सकते हैं, परिभाषाओं तक पहुंच सकते हैं, अन्य संबंधित खंडों के संदर्भ देख सकते हैं तथा परिशिष्ट और अन्य व्यवस्थित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।




यह प्लेटफॉर्म मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पर उपलब्ध है। इसमें उपयोग के रुझानों पर नजर रखने के लिए एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी दिया गया है। साथ ही, यह भविष्य की डिजिटल सेवाओं के लिए एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के अनुकूल सूचना भंडार तैयार करता है। इससे भारतीय मानकों को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध बनाया जा सकेगा।

अधिक जानने के लिए स्कैन करें।

## ऊर्जा प्रबंधन और सतत विकास पर तकनीकी सत्र : ISO 50001 की भूमिका

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने विश्व मानक दिवस 2026 के आयोजन के अंतर्गत 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित मानक भवन में **ऊर्जा प्रबंधन और सतत विकास : ISO 50001** की भूमिका विषय पर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया। सत्र का शुभारंभ बीआईएस की उप महानिदेशक (मानकीकरण-I) श्रीमती रीना गर्ग के स्वागत संबोधन से हुआ। **एमईडी 39** के अध्यक्ष श्री सुहास आर. लोहाकरे ने **सतत विकास के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा कार्यनिष्पादन में सुधार विषय पर प्रस्तुति दी** तथा ऊर्जा कार्यनिष्पादन में सुधार लाने में **ISO 50001** की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के श्री अनिल मेहता ने ऊर्जा प्रबंधन को व्यावसायिक लाभ में बदलने के संबंध में उद्योग जगत के अनुभव साझा किए। इस सत्र में ऊर्जा दक्षता, लागत का अनुकूलन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और पर्यावरणीय स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया। चर्चा के दौरान इस बात को रेखांकित किया गया कि **ISO 50001** संगठनों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऊर्जा प्रबंधन को शामिल करने और सतत विकास लक्ष्य 7, विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता में सुधार से संबंधित लक्ष्य 7.3 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## एनबीसीएस 2026 और एनईसी 2023 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में भारतीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भवन निर्माण मानक 2026 को समझने विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री श्री कौशिक चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम में निर्माण उद्योग से जुड़े लगभग 90 विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें भवन निर्माण सामग्री के निर्माता, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल थे।




इस कार्यक्रम में बीआईएस के एनबीसी प्रकोष्ठ के प्रमुख श्री अरुण कुमार सारवनन के साथ NBCS 2026 के भाग एफ (अग्नि एवं जीवन सुरक्षा) की प्रारूप समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पैनल चर्चा में भाग लेते हुए संशोधित विशेष प्रकाशन (SP 7:2026) के प्रमुख प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और प्रतिभागियों के तकनीकी प्रश्नों के उत्तर दिए।

## ऑडियो/वीडियो एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के मानकों पर संगोष्ठी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमएआईटी) के सहयोग से 16 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में **'पारंपरिक सुरक्षा मानकों से IS/IEC 62368-1 तक: ऑडियो/वीडियो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए भविष्य के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में खतरे पर आधारित सुरक्षा इंजीनियरिंग, उपभोक्ता संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों** के लिए बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें खतरे पर आधारित सुरक्षा इंजीनियरिंग (एचबीएसई), सीआरओ 2021 के अंतर्गत कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों तथा डिजाइन, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन से जुड़ी आवश्यकताओं पर चर्चा की गई।

बीआईएस, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन निकायों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इस नए मानक को अपनाने के दौरान आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। इनमें परीक्षण क्षमता, घटकों से संबंधित अनुपालन और मानक की एकरूप व्याख्या जैसे विषय शामिल थे।

## बीआईएस करेगा ऑटोमोटिव विद्युत घटकों पर ISO कार्य समूह की बैठकों की मेज़बानी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का परिवहन इंजीनियरिंग विभाग (टीईडी), नवंबर 2026 में बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में **ISO/TC 22/SC 32** (विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक घटक तथा सामान्य प्रणाली संबंधी पहलू) के अंतर्गत **दो अंतरराष्ट्रीय कार्य समूहों** की बैठकों की मेजबानी करेगा। **कार्य समूह 6 (WG 6)**, ऑन-बोर्ड विद्युत कनेक्शन की बैठक **10 से 12** नवंबर तक आयोजित होगी। इसके बाद **कार्य समूह 4 (WG 4)**, **ऑटोमोटिव विद्युत** केबल की बैठक **17 से 19** नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में विशेषज्ञ वाहनों में उपयोग होने वाले विद्युत केबल और कनेक्शन से संबंधित तकनीकी आवश्यकताओं, मानकीकरण परियोजनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और विद्युत पावरट्रेन के बढ़ते उपयोग के साथ, सुरक्षा, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता के लिए भरोसेमंद केबल और कनेक्शन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये बैठकें तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान, उद्योग में हो रहे विकास पर विचार-विमर्श और अंतरराष्ट्रीय मानकों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगी।बीआईएस के परिवहन इंजीनियरिंग विभाग (टीईडी) की ऑटोमोटिव विद्युत उपकरण एवं यंत्र अनुभागीय समिति के माध्यम से भारतीय हितधारकों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिलेगा।

# मानक संवर्धन

## कश्मीर घाटी के पेंसिल स्लैट निर्माताओं के साथ एमएसएमई की बैठक

**भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय** ने 22 अक्टूबर 2026 को श्रीनगर में पेंसिल स्लैट्स पर एमएसएमई बैठक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कश्मीर घाटी में पेंसिल स्लैट उद्योग से जुड़े निर्माताओं और संबंधित हितधारकों के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय मानक **IS 3084:2023 – पेंसिल स्लैट्स के विनिर्देश** की आवश्यकताओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना था।




सत्रों में पेंसिल स्लैट्स के लिए **IS 3084:2023** की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही, भारतीय मानक के अनुपालन, उत्पाद की गुणवत्ता तथा उचित गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण प्रक्रियाओं के पालन पर जोर दिया गया।

## मानक कार्निवल 2026 एवं राइडर सुरक्षा बाइक रैली

बीआईएस की गाजियाबाद शाखा कार्यालय ने 10 अक्टूबर 2026 को एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली-एनसीआर परिसर, मोदीनगर में बीआईएस मानक कार्निवल 2026 का आयोजन किया। इस अवसर पर एक भव्य राइडर सुरक्षा बाइक रैली आयोजित की गई तथा एक अभिनव हेलमेट बैंक का उद्घाटन भी किया गया।



इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया। इसका उद्देश्य आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, भारतीय मानकों और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति देशभर में जागरूकता बढ़ाना था।

## प्रशिक्षण कार्यक्रम: नवंबर 2026

| कार्यक्रम का नाम | तारीख | स्थान | शुल्क (₹) |
|---|---|---|---|
| IS/ISO 20121:2024 के अनुसार कार्यक्रम स्थिरता प्रबंधन प्रणाली पर 2-दिवसीय दस्तावेजीकरण, जागरूकता एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा पाठ्यक्रम | 16-17 नवंबर 2026 | NITS | 7000 |
| IS/ISO 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) पर 5-दिवसीय प्रमुख लेखा-परीक्षक पाठ्यक्रम | 16-20 नवंबर 2026 | NITS | 21000 |
| IS/ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा पर 4-दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम | 17-20 नवंबर 2026 | ERL | 13000 |
| IS/ISO/IEC 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं आंतरिक लेखा-परीक्षा पर 4-दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम | 24-27 नवंबर 2026 | NITS | 13000 |
| विधि सत्यापन | 24-27 नवंबर 2026 | NITS | 7000 |

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों की रिश्वतखोरी-रोधी प्रबंधन प्रणाली पर बैठक

बीआईएस ने 16 अक्टूबर 2026 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में रिश्वतखोरी-रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अपने-अपने संगठनों में एबीएमएस की शुरुआत करने तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने, नियामक संबंधी जानकारी साझा करने और भ्रष्टाचार-रोधी अनुपालन से जुड़ी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया गया।



इस बैठक में CBDT, CBSE, NTPC, NDMC, GAIL, BSNL, OIL, DDA सहित अन्य प्रमुख संगठनों के 15 से अधिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से भारतीय मानक **IS/ISO 37001:2025 – रिश्वतखोरी-रोधी प्रबंधन प्रणाली** पर एक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, नैतिक मूल्यों और सत्यनिष्ठा बनाए रखने की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

## भारतीय मानक ब्यूरो की कॉमिक बुक श्रृंखला में दो नई पुस्तकें शामिल

विश्व मानक दिवस 2026 के अवसर पर खिलौनों के लिए भारतीय मानकों और हॉलमार्किंग पर आधारित दो नई कॉमिक पुस्तकें प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी की गईं। इन पुस्तकों का उद्देश्य बच्चों में छोटी उम्र से ही मानकों, गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।




इन कॉमिक पुस्तकों में रोचक कहानियों और चित्रों के माध्यम से भारतीय मानकों की अवधारणा को सरल बनाया गया है, जिससे बच्चों के लिए गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में सीखना अधिक सहज और रुचिकर बन सके। इन नई पुस्तकों के जुड़ने से बीआईएस के कॉमिक पुस्तकों के संग्रह की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जो बच्चों में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं।

## भारतीय मानक ब्यूरो का देशव्यापी उपभोक्ता जागरूकता अभियान

त्योहारों के मद्देनज़र, बीआईएस ने चांदी की हॉलमार्किंग, गुणवत्ता चिह्नों और सोच-समझकर खरीदारी के निर्णय लेने से संबंधित अन्य जानकारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास तेज किए। इन पहलों के तहत, 325 रेलवे स्टेशनों, ई-कॉमर्स मंचों, रेडियो चैनलों, प्रिंट मीडिया और बाहरी प्रचार माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

